

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,
गुरुग्राम।

क्रमांक: स्था0/04/2020/ 8345

दिनांक: 21/05/2020

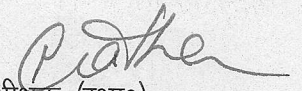
विषय:-

चालक के रिक्त पद पर अनुबंध आधार (आउटसोर्सिंग पोलिसी, पार्ट-II) के अंतर्गत चालक engage करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामलों में आपको सूचित किया जाता है कि श्री रोशन लाल जोकि आपके कार्यालय में चालक के पद पर कार्यरत था, का स्थानान्तरण दिनांक 15.05.2020 को उप श्रम आयुक्त, रोहतक के कार्यालय में हो गया है, जिस पर श्री कर्मबीर, चालक अनुबंध आधार (आउटसोर्सिंग पोलिसी पार्ट-II) पर अनुबंधित थे।

अतः आपके कार्यालय का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु श्री कर्मबीर को आपके कार्यालय में चालक के स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध अनुबंध आधार (आउटसोर्सिंग पोलिसी पार्ट-II) के तहत engage करने के आदेश दिये जाते हैं।

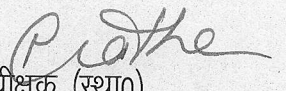

अधीक्षक (स्था0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठाकांन क्रमांक: स्था0/04/2020/ 8346-49

दिनांक: 21/05/2020

पत्र की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. उप श्रम आयुक्त, रोहतक।
2. खजाना अधिकारी, रोहतक व गुरुग्राम।
3. श्री कर्मबीर, चालक अनुबंध आधार (आउटसोर्सिंग पोलिसी पार्ट-II) कार्यालय उप श्रम आयुक्त, रोहतक।


अधीक्षक (स्था0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।